

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 4.1.17

::आदेश::


राजस्थान विधि रचना संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

उप शासन सचिव

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री हरीश कुमार वाधवानी	18.01.1958	31.01.2018
2.	श्री शादी लाल मलिक	10.07.1957	31.07.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव